न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 159 / 2021
GCMS No- 2021/372

श्रीमति पुष्पाबाई पत्नि श्री उदयलाल जी जाति बावरी आयु 38 साल निवासी बावरीखेडा तहसील निम्बाहेडा राज० मो0न0

.... प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज०

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (राज.)

उपस्थित :– 1– श्री रामचन्द्र धाकड – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – अधिवक्ता अप्रार्थी

::निर्णय:: दिनांक 12.04.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की पुश्तेनी आराजीयात वाके मौजा जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या 224 साबिक आराजी नम्बर 186 / 14 रकबा 4 बिघा संयुक्त दर्ज राजस्व रेकार्ड थी। उसमें से तत्कालिन विक्रेतागण द्वारा उनका दर्ज हक हिस्से 4 विधा आराजी तत्कालिन खरीददार प्रार्थीया श्रीमति पुष्पाबाई ने जरिये विक्रय पत्र से दिनांक 01 / 06 / 2006 को कराकर कब्जा खास मौके पर खरीददार ने प्राप्त कर लिया था। प्रार्थीया अनपढ है। जब रजिस्ट्री हुई थी उस समय प्रार्थीया को पूर्ण जानकारी की प्रार्थीया का नाम पुष्पाबाई के स्थान पर कुशबावाई संहवन से टाईप कर दिया गया उसके बारे में नहीं थी। आवेदन पत्र के साथ [illegible] रजिस्टर्ड [illegible] पत्र की फोटो प्रति साथ में पेश है।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में [illegible] प्रार्थीया श्रीमति पुष्पाबाई बावरी के नाम पर विक्रय पत्र में पुष्पाबाई के स्थान पर कुशबाबाई संहवन से टाईप होकर दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई तो उसकी जानकारी पूर्व में नहीं थी। जिससे वर्तमान खाता संख्या 77 के आराजी नम्बर 291 रकबा 0.8600 हेक्टेयर लगानी 4.3000 रुपये में प्रार्थीया का नाम श्रीमति पुष्पाबाई के स्थान पर संहवन से कुशबाबाई दर्ज हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:01:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (राज.)

प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थीया का आधार कार्ड तथा वोटरकार्ड की फोटो प्रति, वर्तमान जमाबन्दी की नकल, मिलान क्षेत्रफल की नकल साथ में पेंश है। इसलिए मुझ प्रार्थीया श्रीमति पुष्पाबाई द्वारा को आराजीयात खरीदी गई उसमें जो संहवन से नाम पुष्पाबाई के स्थान पर कुशबाबाई टाईप हो गया उसको प्रार्थीया अपने वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में स्वयं का नाम कुशबाबाई के स्थान पर पुष्पाबाई दर्ज करा कर संशोधित कराये जाने हेतू प्रार्थना पत्र है।

3. यह कि उक्त राजस्व रेकार्ड के नाम में अशुद्धि की जानकारी पूर्व में मुझ प्रार्थीया को नहीं थी लेकिन अभी हाल ही मैने जब बैंक से ऋण लेने के लिए जमाबन्दी की ओर नकल ली तब जानकारी हुई की वर्तमान जमाबन्दी में मुझ प्रार्थीया का नाम तत्कालिन बय नामा में दर्ज अनुसार श्रीमति कुशबाबाई संहवन से दर्ज हो गया, जबकि मेरा नाम पुष्पाबाई है। जिसको सही किया जाना कानूनन रूप से न्यायोचित है। इस नाम से यानि श्रीमति कुशबाबाई पत्नि उदयलाल बावरी निवासी बावरीखेडा के नाम से अन्य कोई महिला गाँव में खातेदार नहीं है। इसलिए मुझ प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड अनुसार श्रीमति पुष्पाबाई पत्नि उदयलाल बावरी निवासी बावरीखेडा कराया जाना न्यायोचित है। जिससे मुझ प्रार्थीया को राज्य एवं केन्द्र सरकारी की योजनाओं को लाभ मिल सकें।

4. उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित हेतुक दर्शित सूचना के माध्यम से श्रीमान् के न्यायालय के प्रकरण संख्या 159/2021 प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर0एक्ट अनुवान पुष्पाबाई बावरी बनाम सरकार में जांच रिपोर्ट चाही गई, जिसकी जांच भू० अभिलेख निरीक्षक जावदा से करवाई गई। भू.अभिलेख निरीक्षक जावदा अनुसार मौजा जावदा में वर्तमान आ.नं० 291 रकबा 0.86 हैक्टेयर खातेदार श्रीमती कुशबाबाई पत्नी उदयलाल बावरी निवासी बावरीखेडा के नाम दर्ज भूमि रजिस्टर्ड खरीदशुदा तत्कालीन साबिक आराजी सं. 186/14 रकबा 4 बीघा का विक्रय विलेख में क्रेता का सहवन से कुशबाबाई पत्नी उदयलाल बावरी सा. बावरीखेडा दर्ज कर दिया गया जबकि सही नाम पुष्पाबाई पत्नी उदयलाल बावरी होने बाबत् प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र धारा 136 के अन्तर्गत 159/2021 में जांच रिपोर्ट हेतु मौके पर उपस्थित संलग्न पर्चा मौका अनुसार जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

5. वर्तमान् राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संख्या 2077-80 मौजा जावदा की खाता संख्या 77 आ0नं0 291 रकबा 0.86 हैक्टेयर खातेदार श्रीमती कुशबाबाई पत्नी उदयलाल बावरी सा. बावरीखेडा के नाम दर्ज रेकार्ड है उक्त भूमि का साबिक रेकार्ड जमा[illegible] विक्रयपत्र का अवलोकन किया गया।

6. वर्ष 2006 में श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी उदयलाल बावरी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख दि. 01.06.2006 से विक्रेता श्री बंशीलाल, चन्द्रशेखर, गीताबाई, कान्ताबाई पिता नन्दलाल दर्जी निवासी निम्बाहेडा से मौजा जावदा की साबिक आ०नं० 186/14 रकबा 4 बीघा भूमि क्रय की गई जिसमें क्रेता का नाम गलत कुशबाबाई पत्नी उदयलाल बावरी सा. बावारीखेडा अंकित हो गया था। इस बाबत मौका जांच निरीक्षण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:01:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (राज.)

पाया की प्रार्थीया क्रेता अनपढ है और ग्राम में कुशबाबाई बोलचाल में नाम कहने पर वक्त रजिस्ट्री दजरतावेज लेखक द्वारा सहवन से नाम कुशबाबाई अंकित किया गया था। जबकि प्रार्थीया का फोटो परिचय वर्ष 1995 का बना होकर उसमें नाम पुष्पाबाई पत्नी उदयलाल अंकित है। ग्राम बावरीखेडा में जांच करने पर पाया कि ग्राम बावरीखेड़ा में श्री उदयलाल बावरी की ब्याहता धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पाबाई लगभग 35 वर्ष पूर्व चंगेरी मध्यप्रदेश से ब्याहता धर्मपत्नी है और यही परिवार में निवासरत होकर एक ही स्त्री है। नाम बोलचाल में सहवन से कुशबाबाई वक्त रजिस्ट्री अंकित हो गया है मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आ0नं0 186/14 रकबा 4 बीघा के वर्तमान आ0नं0 291 रकबा 0.86 है0 बने है। अतः संलग्न मौका पर्चा अनसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड ग्राम जावदा जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खाता सं. 77 आ0नं0 291 रकबा 0.86 है0 में खातेदार श्रीमती कुशबाबाई पत्नी उदयलाल बावरी सा. बावरी के बजाय सही नाम श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी उदयलाल बावरी सा. बावरीखेडा नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार द्वारा जवाब एवं अनुशंशा कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्रीमती पुष्पाबाई पत्नि श्री उदयलाल जी जाति बावरी निवासी बावरीखेडा तहसील निम्बाहेडा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच की गई। जांच में पाया कि प्रार्थी द्वारा जरिये खातेदार श्रीमती कुशबाबाई पत्नी उदयलाल बावरी सा. बावरी के बजाय सही नाम श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी उदयलाल बावरी निवसी बावरीखेडा नाम दर्ज किया जाना श्रीमती पुष्पाबाई के बजाय श्रीमती कुशबाबाई दर्ज हो गई हैं जिसको शुद्ध किया जाकर प्रार्थी का नाम श्रीमती कुशबाबाई के बजाय श्रीमती पुष्पाबाई की जाने की अनुशंषा की।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि **जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 राजस्व ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा के आराजी न0 291 रकबा 0.86 हैक्टेयर में प्रार्थी** श्रीमती कुशबाबाई पत्नि उदय लाल बावरी **निवासी बावरीखेडा के स्थान पर प्रार्थी खातेदार का नाम** श्रीमती पुष्पाबाई पत्नि उदय लाल बावरी **निवासी बावरीखेडा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।** तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:01:19 IST
Reason: SelfAttested

12/4/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा